2

न्यायालय जिला कलक्टर जोधपुर

दिनेश कुमार बनाम **उप पंजीयक लोहावट व अन्य**

किस्म मुकदमा **पंजीयन अपील अ/धा 72, राज. पंजीयन अधिनियम** नम्बर 02 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.02.20	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थीपक्ष के अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ परिहार उपस्थित। अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ परिहार ने व्यक्त किया कि उपरोक्त अनवान पत्रावली आवासीय भूखण्ड 50 फूट गुणा 50 फुट का पट्टा संख्या 04, मिसल सं0 36/1983–84 में दिनांक 25.02.1985 को ग्राम पंचायत लोहावट द्वारा रेस्पो. संख्या–2 लक्ष्मी के नाम जारी किया गया, का पंजीकरण अपीलार्थी के पक्ष में कराने का सब रजिस्टर लोहावट के समक्ष पेश करने पर सब रजिस्टार ने बिना पंजीयन किये दस्तावेज लौटा दिया गया, जिसके विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। आगे यह भी कहा कि अपीलार्थी अब यह अपील आगे चलाना नहीं चाहता है तथा अपीलार्थी उक्त अपील को विड्रोल करना चाहता है तथा अपील विड्रोल करने एवं मूल दस्तावेज पुनः लौटाने का प्रार्थना पत्र दिनांक 03.02.2020 को प्रस्तुत किया जा चुका है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मूल दस्तावेज लौटाया जावे। चूंकि प्रस्तुत अपील अपीलार्थी आगे नहीं चलाने एवं अपील को विड्रो किया है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा उक्त अपील जरिये विड्रो निरस्त की जाती है। अपीलार्थी द्वारा अपील के संलग्न मूल दस्तावेज लौटाने का प्रार्थना पेश करने पर दस्तावेज की प्रतिलिपि नोटरी से तस्दीकसुदा प्राप्त कर मूल दस्तावेज लौटा दिया जाय। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	